न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010037852023

Warrant or Summons Criminal Case/8/2023

Mahesh kumar Vs. Aslam

परिवाद संख्या– 08/2023

महेश कुमार पुत्र मुन्शी लाल निवासी ग्राम शाहपुर जटट थाना बाबूगढ तहसील व जिला हापुड । – प्रार्थी

बनाम

1– असलम पुत्र इस्लाम

2– इस्लाम पुत्र नामालूम समस्त निवासी ग्राम गंगाधर उर्फ बक्सर तहसील गढ़मुक्तेश्वर थाना सिम्भावली जिला हापुड़।

3– दो व्यक्ति अज्ञात नाम पता नामालूम – विपक्षीगण

थाना–बाबूगढ,जनपद– हापुड़।

दिनांक 29.02.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता को बहस तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है । पत्रावली का अवलोकन किया ।

संक्षेप में प्रार्थी /परिवादी का कथन है कि विपक्षी/अभियुक्त स०1 का एक आवासीय /व्यवसायिक/दुकान स्थित मौ० पुर खुडलिया परगना व तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ में है, उपरोक्त जिसका रकबा 10.40 वर्ग मीटर जो कि दो मंजिला बनी है उक्त दुकान के पूरब में दुकान न0 2 फजल मौहम्मद व कैश मौहम्मद पश्चिम में दुकान स० 4 सरदार जी की उत्तर दिशा में सडक रेलवे स्टेशन रोड दक्षिण में मकान मौहम्मद अली दुकान की लम्बाई 16 फुट चौडाई 7 फुट है। विपक्षी/अभियुक्त स०1 ने अपनी उपरोक्त वर्णित आवासीय/व्यवसायिक/दुकान दो मंजिला का विक्रय करने का सौदा अंकन 50 लाख रूपये में प्रार्थी से किया था तथा अंकन 2 लाख रूपये चैक सं0 580008 एस0बी0आई0 सिम्भावली के द्वारा व दो लाख रूपये नकद प्राप्त करके शेष एक लाख रूपये बैनामें के समय तय पायी करके स्वेच्छा प्रसन्नता से बिना किसी दबाव के रूबरू गवाहान प्रतिज्ञापत्र विक्रय/ इकरारनामा तहरीर व तकमील कराया था जिसकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड में दिनाक 04–12–2017 को

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2024.03.01 10:37:59 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

बही स0 1 जिल्द सं0 3704 पृष्ट रू 178 से 194 पर क्रम सं0 098 पर दर्ज है। प्रार्थी द्व ारा चैक सं0 580017 में अकन धनराशि 250000/–रूपये, चैक स० 580015 में अंकन धनराशि 250000/– रूपये, तथा चैक स० 580011 में अंकन धनराशि 30,000/– रूपये उक्त सभी चैकों के माध्यम से विपक्षी /अभियुक्त सं० 1 को दिये। इस प्रकार सभी चैको , नगद व इंटरनेट बैंकिंग में माध्यम से कुल धनराशि 1075000/–रूपये लिए है। उपरोक्त वर्णित एक आवासीय/व्यवसायिक/दुकान दो मंजिला की कीमत 545000/– रूपये विपक्षी के पक्ष में बैनामा करने के लिए है शेष धनराशि कर्ज के रूप में उधार लिए है। विपक्षीगण कई रिस्तेदारों व आस पास के कई सम्मानित लोगो को लेकर दिनांक 15–09–2022 को प्रार्थी के घर पर आये तथा प्रार्थी पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया तथा प्रार्थी ने आस पास के सम्मानित लोगों पर विश्वास करते हुए समझौता करने के लिए तैयार हो गया । उक्त समझौते के अनुसार विपक्षी ने प्रार्थी की धनराशि को वापिस के दायित्व से मुक्त होने के लिए विपक्षी ने प्रार्थी को बतौर गारन्टी रूपये वापसी हेतु अपनी चेक बुक से एक चैक दिनांक 18–00–2022 का आई0डी0बी0आई0 बैंक शाखा भोवापुर मस्तान नगर अंकन धनराशि 1411000/–रूपये का जारी कर अपनी चौक बुक से काट कर दिया तथा विश्वास दिलाया की दिनांक 18–09–2022 को उक्त बैंक को अपने खाते में जमा करके अपनी धनराशी प्राप्त कर लें। प्रार्थी ने दिनांक 18–00–2022 को विपक्षीगण के आश्वासन पर विश्वास करके उक्त चैक को केनरा बैंक शाखा उपेडा जिला हापुड़ के अपने खाता स० 110062002360 में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया लेकिन बैंक द्वारा निधि अपर्याप्त है के रिमार्क के साथ उक्त चैक दिनांक 04–10–2022 को प्रार्थी को वापिस कर दिया तथा प्रार्थी को चैक में अंकित कुल धनराशि 1411000/– रू० (चौदह लाख ग्यारह हजार रूपये) का भुगतान नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी द्वारा एक वाद विपक्षी/अभियुक्त के विरूद्ध चैक डिस्ऑनर होने के कारण अ० धारा 138 एन० आई० एक्ट के अन्तर्गत योजित किया जो कि आज भी विचाराधीन है। प्रार्थी व असलम के मध्य एक वाद न्यायालय सिविल जज सि० डि0 प्रथम हापुड में योजित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा एक वाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हापुड में योजित किया गया है जिसमें दि0 10.02.2023 नियत थी, इसलिए प्रार्थी न्यायालय जा रहा था । रास्ते में हापुड न्यायालय जाते समय करीब 9.30 अटूटा मोड के सामने असलम व इस्लाम व दो अन्य अज्ञात लोगों ने प्रार्थी को रोक लिया और प्राणी के साथ गाली गली करने लगे और धमकी दी कि तुझे क्या लगता है कि तू हम पर मुकदमे करेगा तो मुझे मेरे पैसे वापस

मिल जाएंगे । तुझे जो करना है , कर ले, हम तेरे पैसे वापस नहीं करेंगे । प्रार्थी ने असलम से कहा कि मैने तुम्हारी दुकान का रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेन्ट किया था मुझे रुपये नहीं दुकान दे दो, मैं सभी मुकदमें वापिस कर लुंगा इस पर असलम व इस्लाम ने प्रार्थी से कहा साले चमार ढेड तुझे उक्त दुकान नहीं मिलेगी इस दुकान को हमने इमरान खान पुत्र जमील को बेच दी है अब तुझे उक्त दुकान नहीं मिलेगी और एक बैनामें की फोटो स्टेट प्रार्थी के उपर फेंक कर गाली गलौच करने लगे । प्रार्थी ने गलौच करने का विरोध किया तो प्रार्थी को लात व थप्पड मारने लगे । उसी समय प्रार्थी का भाई राजकुमार पुत्र मुन्शीलाल व अमित कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम उपैडा जिला हापुड ने प्रार्थी को पिटते हुए देख लिया । उन्होने शोर मचाया जिससे उक्त सभी लोग राजकुमार व अमित को देखकर अगली बार जान से मारने के धमकी देकर वहा से स्पलेन्डर बाईक न० DL 5S AY 6125 व एक ओर अन्य बाईक से भाग गये । प्रार्थी अपनी रिर्पोट दर्ज कराने थाना बाबूगढ भी गया था , प्रार्थी को थाने से धमका कर भगा दिया गया । प्रार्थी ने बार बार थाना प्रभारी से उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की गयी , इसलिए प्रार्थी ने दि010.02.2023 को उक्त घटना के बाबत एक शिकायत प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक जिला हापुड को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था किन्तु कोई नहीं हुई है जिस कारण विवश होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय के आदेशानुसार परिवाद में दर्ज किया गया ।

प्रार्थी /परिवादी ने अपने कथनो के समर्थन में शपथपत्र के अतिरिक्त दि0 10.02.2023 को एस0पी0हापुड को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, पंजीकृत डाक की रसीद, बैनामा दि0 14.06.2021 की प्रति दाखिल किए गए है ।

परिवादी ने स्वयं को द0प्र0सं0 की धारा 200 के अर्न्तगत तथा अपने कथनो के समर्थन में धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–01 राजकुमार, पी0डब्लू0–02 अमित कुमार को परीक्षित कराया है।

परिवादी ने अपने परिवादपत्र के कथनो का समर्थन करते हुए अपने बयान अ0 धारा 200 द0प्र0सं0 में सशपथ कथन किया है कि ''मैंने असलम पुत्र इस्लाम से एक दो मजिली दुकान स्थित मौ० पुर खुडलिया परगना व तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ में जिसका रकबा 10.40 वर्ग मीटर को खरीदने का सौदा अंकन 5 लाख रूपये में प्रार्थी से किया था तथा अंकन 2 लाख रूपये चैक सं0 580008 एस0बी0आई0 सिम्भावली के द्वारा

व दो लाख रूपये नकद प्राप्त करके शेष एक लाख रूपये बैनामें के समय तय पाये थे ।जिसकी बाबत दिनाक 04–12–2017 को रजिस्टर्ड इकरारनामा कराया था जिसकी रजिस्ट्री कराई गई थी । मैंने चैक सं0 580017 में अकन धनराशि 250000/–रूपये, चैक स० 580015 में अंकन धनराशि 250000/– रूपये, तथा चैक स० 580011 में अंकन धनराशि 30,000/– रूपये उक्त सभी चैकों के माध्यम से असलम पुत्र इस्लाम को दिये। इस प्रकार सभी चैको ,नगद व इंटरनेट बैंकिंग में माध्यम से कुल धनराशि 1075000/–रूपये असलम पुत्र इस्लाम द्वारा ले लिए गए । बाद में जिसमें से 545000/– रूपये उक्त दुकान की कीमत ली गयी तथा शेष धनराशि कर्ज के रूप में उधार लिए थे । असलम कुछ सम्मानित लोगो को लेकर दिनांक 15–09–2022 को मेरे घ ार पर आया और समझौता करने के लिए दबाव बनाया तथा आस पास के सम्मानित लोगों पर विश्वास करते हुए समझौता करने के लिए मैं तैयार हो गया । उक्त समझौते के अनुसार ब्याज सहित 1411000/–रूपये असलम द्वारा मुझे तय हुए , जिसके बाद इकरारनामा खत्म करा देने की बात तय हुई । जिसकी बाबत असलम ने अपनी चेक बुक से एक चैक दिनांक 18–09–2022 का आई0डी0बी0आई0 बैंक शाखा भोवापुर मस्तान नगर अंकन धनराशि 1411000/–रूपये का जारी कर अपनी चैक बुक से काट कर दिया तथा विश्वास दिलाया की दिनांक 18–09–2022 को उक्त बैंक को अपने खाते में जमा करके अपनी धनराशी प्राप्त हो जायेगी । मैंने दिनांक 18–00–2022 को चैक को केनरा बैंक शाखा उपेडा जिला हापुड़ के अपने खाता स० 110062002360 में भुगतान हेतु जमा किया लेकिन बैंक द्वारा निधि अपर्याप्त है के रिमार्क के साथ उक्त चैक दिनांक 04–10–2022 को वापिस कर दिया तथा मुझे चैक में अंकित कुल धनराशि 1411000/– रू० (चौदह लाख ग्यारह हजार रूपये) का भुगतान नहीं हुआ इसलिए मैंने एक वाद असलम के विरूद्ध चैक डिस्ऑनर होने के कारण अ० धारा 138 एन० आई० एक्ट के अन्तर्गत योजित किया जो आज भी विचाराधीन है तथा एक वाद न्यायालय सिविल जज सि० डि0 प्रथम हापुड में असलम के विरूद्ध रिकवरी के लिए योजित किया । जिसमें दि0 10.02.2023 नियत थी । रास्ते में हापुड न्यायालय जाते समय करीब 9.30 अटूटा मोड के सामने असलम व इस्लाम व दो अन्य अज्ञात लोगों ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ गाली गली करने लगे और धमकी दी कि तुझे क्या लगता है कि तू हम पर मुकदमे करेगा तो तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे । तुझे जो करना है , कर ले, हम तेरे पैसे वापस नहीं करेंगे । मैंने असलम से कहा कि मैने तुम्हारी दुकान का रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेन्ट किया था

मुझे रुपये नहीं दुकान दे दो, मैं सभी मुकदमें वापिस कर लुंगा इस पर असलम व इस्लाम ने कहा साले चमार ढेड तुझे उक्त दुकान नहीं मिलेगी इस दुकान को हमने इमरान खान पुत्र जमील को बेच दी है अब तुझे उक्त दुकान नहीं मिलेगी और एक बैनामें की फोटो स्टेट मेरे उपर फेंक कर गाली गलौच करने लगे । मैंने गाली गलौच करने का विरोध किया तो मुझे लात व थप्पड मारने लगे । उसी समय मेरा भाई राजकुमार पुत्र मुन्शीलाल व अमित कुमार पुत्र रतन सिंह ने मुझे पिटते हुए देख लिया । उन्होने शोर मचाया जिससे उक्त सभी लोग अगली बार जान से मारने के धमकी देकर वहा से दो मोटरसाईकिलों से भाग गये । मैं अपनी रिर्पोट दर्ज कराने थाना बाबूगढ भी गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी । तब मैंने 10.02.2023 को उक्त घटना के बाबत एक शिकायत प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक जिला हापुड को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ,जिस कारण विवश होकर मै न्यायालय में आया हूं । ''

धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–01 राजकुमार ने सशपथ बयान किया कि ''मेरे भाई महेश ने असलम की एक दो मजिली दुकान खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट असलम से किया था तथा कुछ रूपये असलम ने भाई से उधार लिए थे । लेकिन बैनामें की नियत तिथि पर असलम ने बैनामा करने से मना कर दिया । दोनों के मध्य कुछ लेागों ने समझौता भी कराया जिसमें 1411000/–रूपये असलम द्वारा मेरे भाई को देने तय हुए । जिसकी बाबत असलम ने एक चैक मेरे भाई को दिया था । लेकिन वह चैक बाउंस हो गया था । उक्त सम्पत्ति व चैक की बाबत मेरे भाई ने मुकदमें योजित कर दिये थे । दि0 10.02.2023 को मैं अपनी नौकरी के लिए नोएडा जा रहा था । रास्ते में मैंने देखा कि कुछ लोगों के मध्य अटूटा मोड के पास झगडा हो रहा था । मैंने पास जाकर देखा तो मेरे भाई महेश को असलम व इस्लाम व दो अन्य अज्ञात लोग मारपीट व गाली गलौच कर रहे थे , कह रहे थे कि साले , ढेड, चमार तुझसे आज तक तो हमारा कुछ नहीं बिगडा और आगे भी कुछ नहीं बिगाड पायेगा । मैंने अपने भाई को पिटता देख शोर मचाया तो रास्ते में जा रहे लोग इकटठा हो गये । मुझे व पब्लिक को देखकर असलम व इस्लाम आदि दो बाइको पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । ''

धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–02 अमित कुमार ने सशपथ बयान किया कि '' मैं पिलखुवा में फर्नीचर की दुकान पर काम करता हूं । दि0 10.02.2023 को समय करीब 9.30 बजे अपने काम पर पिलखुवा जा रहा था । रास्ते में

मैंने देखा कि अटूटा मोड के पास झगडा हो रहा था । मैंने पास जाकर देखा तो महेश को 4 लोग मारपीट व गाली गलौच कर रहे थे , कह रहे थे कि साले, ढेड, चमार तुझसे आज तक तो हमारा कुछ नहीं बिगडा और आगे भी कुछ नहीं बिगाड पायेगा । मैंने महेश को पिटता देख शोर मचाया तो रास्ते में जा रहे लोग इकटठा हो गये । लोगो को इकटठा होता देख वह लोग महेश पर कुछ कागज फेंककर मारते हुए, जातिसूचक गाली गलौच करते व जान से मारने की धमकी देते हुए दो बाइको पर भाग गये । ''

इस प्रकार परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में किए गए कथनो का समर्थन स्वयं अपने बयान अ0 धारा 200 द0प्र0सं0 व साक्षीगण के बयानो अ0 धारा 202 द0प्र0सं0 में किया गया है । परिवादपत्र के अभिकथनो तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्ट्या विपक्षीगण असलम व इस्लाम द्वारा धारा 323,420,504,506 भा0द0सं0 व धारा 3(2)(va) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। जिनमें विपक्षी विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण/अभियुक्तगण असलम व इस्लाम को धारा 323,420,504,506 भा0द0सं0 व धारा 3(2)(va) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट के अधीन दण्डनीय प्रथम दृष्टया मामले में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी करे। सम्मन के साथ परिवाद पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाये। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 28.03.2024 को पेश हो।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।